मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
वल्लभ भवन भोपाल, 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनॉक 23 जून, 2017

क्रमांक एफ 30–04/2017/10–3 :: वन विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत ईमारती काष्ठ का निर्वर्तन घोष विक्रय के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा डिजीटल इण्डिया पहल को महत्व देकर साइबर ट्रेजरी एवं इलैक्ट्रानिक टेण्डरिंग जैसी प्रणालियों का उपयोग शासन के वित्तीय व्यवहारों में व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इस व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि वन विभाग द्वारा बेची जाने वाली ईमारती काष्ठ (राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत काष्ठ) का विक्रय घोष विक्रय पद्धति के साथ साथ इलेक्ट्रानिक ऑक्शन के माध्यम से भी किया जायेगा। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा इलेक्ट्रानिक ऑक्शन की प्रकिया अपनाने के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :–

(i) प्रयोग के तौर पर ई–ऑक्शन की प्रकिया हरदा उत्पादन वनमण्डल के टिमरनी डिपो में आयोजित आगामी नीलाम से की जावेगी। इस अनुभव का विश्लेषण कर इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी डिपो में लागू किया जायेगा। इसका समय–चक्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा तय किया जायेगा एवं कार्य व्यवस्था अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा संचालित कराई जाएगी।

(ii) नीलाम में ई–ऑक्शन के अतिरिक्त घोष विक्रय (वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया) से भी निर्वर्तन किया जायेगा। ई–ऑक्शन में कितने मूल्य के लॉट रखे जाने है, का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा किया जायेगा।

(iii) ई ऑक्शन के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा विकसित पोर्टल का उपयोग किया जायेगा, जिसका विभाग की ओर से समन्वय सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया जाएगा। ई ऑक्शन में भाग लेने वाले केताओं से लेन–देन शुल्क लेने का प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा किया गया है। वर्तमान में लागू शुल्क परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। उक्त शुल्क केताओं से वसूल करने की अनुमति दी जाती है। यदि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा भविष्य में शुल्क में संशोधन किया जाता है तो संशोधित शुल्क इस व्यवस्था पर लागू होगा।

2

(iv) ई–ऑक्शन के संबंध में इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा केताओं एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

संलग्न :-- उपरोक्तानुसार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 कमांक एफ 30–04/2017/10–3, भोपाल, दिनांक 23 जून, 2017

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम की ओर सूचनार्थ। उक्त प्रपत्र अनुसार ई–आक्शन निगम के डिपो में लागू करने हेतु संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल। कृपया अपने स्तर से समस्त टिम्बर मर्चेन्ट एसोसिऐशन को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), मध्यप्रदेश, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेंटर, भोपाल की ओर ई-ऑक्शन कार्य प्रारंभ कराने बाबत् प्रेषित।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश।
7. समस्त वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमंडल एवं क्षेत्रीय वनमंडल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

A. e-Procurement Transaction Fees - Unit Rates:

Unit 1 - Provision of e-Tendering & e-Auctions procurement		
Payment Method	Rates Quoted In numbers	Units
Percentage of ECV	0.01%	%
Minimum transaction fee per bidder	250	Rupees
Cap for tenders with ECV of upto 10 lakhs	250	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 10 -50 lakhs	650	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 50 – 100 lakhs	1300	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 1 – 10 Crores	1300	Rupees
Cap for tenders with ECV of more than 10 Crores	1000	Rupees

Unit 2 - Provision of Indent Management, e-Tendering & e-Auctions procurement		
Payment Method	Rates Quoted In numbers	Units
Percentage of ECV	0.01%	%
Minimum transaction fee per bidder	250	Rupees
Cap for tenders with ECV of upto 10 lakhs	250	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 10 -50 lakhs	650	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 50 – 100 lakhs	1300	Rupees
Cap for tenders with ECV of between 1 – 10 Crores	1300	Rupees
Cap for tenders with ECV of more than 10 Crores	1000	Rupees

Unit 3 - Provision of contract management module		
Payment Method	Rates Quoted In numbers	Units
Percentage of contract value	0.01%	%
Minimum transaction fee per contract	250	Rupees
Cap for contracts valued upto 10 lakhs	250	Rupees
Cap for contracts valued between 10 -50 lakhs	500	Rupees
Cap for contracts valued between 50 – 100 lakhs	1000	Rupees
Cap for contracts valued between 1 – 10 Crores	600	Rupees
Cap for contracts valued more than 10 Crores	1000	Rupees

Unit 4 - Provision of catalogue procurement module		
Payment Method	**Rates Quoted**	**Units**
	In numbers	
Percentage of order value	**0.67%**	%
Minimum transaction fee per order	**250**	Rupees
Cap for orders valued between Rs. 5,000 and 25,000	**250**	Rupees
Cap for orders valued between Rs. 25,000 and 50,000	**335**	Rupees
Cap for orders valued between Rs. 50,000 and 100,000	**670**	Rupees
Cap for orders valued between Rs. 1 and 10 Lakhs	**700**	Rupees
Cap for orders valued between more than Rs.10 Lakhs	**700**	Rupees

Unit 5 - Provision of supplier registration module		
Payment Method	**Fee charged**	**Units**
	In numbers	
One-time registration fee per supplier (1st Year)	**500**	Rupees
Yearly maintenance fee per supplier (From 2nd Year)	**100**	Rupees

B. Following are the steps for ascertaining the 'Tender Processing Fees' in e-procurement Portal:

1. Refer the respective table of Unit Rates as per the module.
2. First refer the 'Percentage of ECV' mentioned in the table.
3. Calculate the transaction value as per the percentage applied on Estimated Contract Value (ECV).
4. If the value so arrived is less than 'Minimum transaction fee per bidder', then Minimum transaction fee as mentioned in the respective table would be applicable.
5. Refer the respective range of ECV for maximum cap fee applicability.
6. If the value so arrived is more than the Cap mentioned as per the range, the Cap value mentioned in the table would be applicable.
7. If the value is between the minimum as well as maximum cap, then the value so arrived would be considered as the 'Tender Processing Fees'.

For Example:-

a. Let say ECV of a tender is Rs. 10,00,00,000/-
b. As per table of e-tendering the percentage of ECV is 0.01%
c. The transaction value arrived is Rs. 10,000 (10,00,00,000*0.01%)
d. This value is above the minimum value mentioned in the table, so no issue.
e. Now, the slab of 'Cap for tenders with ECV of between 1 – 10 crores' is Rs. 1300/- which is less than Rs. 10,000/- .
f. Thus the 'Tender Processing Fees' would be Rs. 1300/-.

Few more examples:-

ECV of Tender	6,70,000	38,00,000	85,00,000	7,90,00,000	14,00,00,000
Percentage	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
Transaction Fee	67	380	850	7,900	14,000
Minimum Cap	250	250	250	250	250
Maximum Cap	250	650	1,300	1,300	1,000
Applicable Value of Transaction Fee	**250**	**380**	**850**	**1,300**	**1,000**

Note: In e-Procurement portal aforesaid rules of calculating 'Processing Fees' is already incorporated. The above explanation is just to appraise departmental user's as to how the processing fees is being calculated.